सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 422 राँची, मंगलवार

26 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

16 जून, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

10 जून, 2015

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, राँची का पत्रांक-250, दिनांक 27 अप्रैल, 1995
2. तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का आदेश सं0-7954, दिनांक 27 अगस्त, 1997, संकल्प सं0-8366, दिनांक 05 सितम्बर, 1997, संकल्प सं0-11663, दिनांक 02 नवम्बर, 1998 एवं आदेश सं0-6163, दिनांक 23 जुलाई, 1999
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-6793, दिनांक 02 जुलाई, 2014 एवं संकल्प संख्या-10928, दिनांक 13 नवम्बर, 2014
4. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक-376, दिनांक 12 फरवरी, 2015

संख्या-5/आरोप-1-111/2014 का॰-5207 -- श्री ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 453/03, गृह जिला- सीतामढ़ी), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू के पद पर कार्यावधि से संबंधित प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, राँची के पत्रांक-250, दिनांक 27 अप्रैल, 1995 के माध्यम से प्रतिवेदित है।

उक्त आरोपों के लिए तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0-7954, दिनांक 27 अगस्त, 1997 द्वारा श्री सिन्हा को निलम्बित किया गया था एवं संकल्प सं0-8366, दिनांक 05 सितम्बर, 1997 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु निर्णय लिया गया था। श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा विभागीय कार्यवाही अभिलेख को आदेश दिनांक 16 जुलाई, 1998 पारित करते हुए विभागीय को वापस कर दिया गया। आदेश में अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी श्री सिन्हा का आचरण एवं व्यवहार आपत्तिजनक है तथा इनके द्वारा उन्हें विभिन्न तरह से प्रभावित करने हेतु प्रयास किया जा रहा था।

विभागीय जाँच आयुक्त के आदेश के आलोक में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-11663, दिनांक 02 नवम्बर, 1998 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही को पुर्नसंचालित किया गया एवं प्रशासनिक सुधार-सह-आरक्षण आयुक्त, बिहार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। परन्तु विभागीय कार्यवाही के दौरान उपायुक्त, राँची के तरफ से उपस्थापन पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रशासनिक सुधार एवं आरक्षण आयुक्त, बिहार-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-61, दिनांक 01 अप्रैल, 1999 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अभिलेख को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को वापस कर दिया गया।

श्री सिन्हा द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका सं0-सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-1317/99 दायर किया गया एवं इससे संबंधित आई0ए0 नं0-6094/99 की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 06 मई, 1999 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि विभागीय कार्यवाही में छः सप्ताह के अन्दर निर्णय ले लिया जाय।

न्यायादेश के आलोक में आदेश सं0-6163, दिनांक 23 जुलाई, 1999 द्वारा श्री सिन्हा को विभाग में योगदान की तिथि के प्रभाव से निलम्बन मुक्त किया गया। चूँकि प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच विभागीय कार्यवाही के माध्यम से वर्णित स्थिति में होना संभव नहीं रह गया, इसलिए

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा मामले की जाँच प्राप्त आरोप पत्र, आरोपित पदाधिकारी के लिखित बचाव बयान एवं उपलब्ध अन्य कागजात के आधार पर की गई। जाँचोपरान्त यह पाया गया कि श्री सिन्हा का लिखित बचाव बयान संतोषजनक नहीं है और उन्होंने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा नहीं रखी है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (i)(ii) के प्रतिकूल है। अतः असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49 के तहत् श्री सिन्हा पर निन्दन का दण्ड अधिरोपित करते हुए इसकी प्रविष्टि उनके वर्ष 1994-95 की चारित्री में करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंशनादि के लिए की जायेगी। तद्नुसार इसके लिए संकल्प सं0-6319, दिनांक 26 जुलाई, 1999 निर्गत किया गया।

श्री सिन्हा द्वारा उक्त संकल्प के विरूद्ध एल0पी0ए0 नं0-168/11 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05 मई, 2011 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में पेंशन नियमावली के नियम-139बी के तहत् विभागीय पत्रांक-6793, दिनांक 02 जुलाई, 2014 द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' की प्रति भेजते हुए इनसे कारण पृच्छा की गयी कि इन आरोपों के आलोक में उनकी सेवा को असंतोषजनक क्यों नहीं मानी जाय?

श्री सिन्हा ने अपने पत्र, दिनांक 21 जुलाई 2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण पूर्व में ही इनके दिया जा चुका है एवं पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही में सुनवाई एवं जाँच हेतु बचाव अभिकथन साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकार श्री सिन्हा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है एवं न ही कोई ऐसा तथ्य समर्पित किया गया है, जिसके आधार पर इन्हें निर्दोष माना जा सके।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप इनके द्वारा पूर्व में समर्पित बचाव-बयान एवं कारण पृच्छा के लिए समर्पित जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा का बचाव बयान तथा कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-10928, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत् इनके पेंशन से पाँच प्रतिशत की राशि पाँच वर्षो तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-376, दिनांक 12 फरवरी, 2015 के माध्यम से श्री सिन्हा का अपील अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सिन्हा ने उन्हीं बातों को दुहराया है, जो इन्होंने अपने पूर्व के स्पष्टीकरण में अंकित किया है। इस प्रकार श्री सिन्हा पर अधिरोपित दण्ड को बदलने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। अतः इनका अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 422—50 ।